भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5097

दिनांक 24 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

चाय बागानों को बंद करना

5097. श्री राजू बिष्टः
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार चाय बागानों के मालिकों द्वारा कामगारों अथवा सरकार को बिना कोई सूचना दिए अपने बागानों में काम बंद करने की बार–बार होने वाली घटनाओं से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;
(ख) क्या अब तक किसी भी चाय–बागान मालिक को अपने बागानों में काम बंद करने और हजारों कामगारों तथा उनके परिवार के जीवन को खतरे में डालने के लिए जवाबदेह ठहराया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या यह सच है कि धूमसीपारा के चाय बागान बंद हो गए हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार/चाय बोर्ड द्वारा उक्त चाय बागान के बंद होने के कारण अपनी आजीविका खोने वाले चाय बागानों के कामगारों की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) एवं (ख) : चाय बागान मालिकों द्वारा चाय बागानों को बंद करने की घटनाएं हुई है । चाय बागानों को बंद करने/तालाबंदी करने के प्रमुख कारणों में संपदाओं की कम उपज, झाड़ियों का पुराना होना, विकास परिप्रेक्ष्य का अभाव, अकुशल बागान प्रबंधन प्रथाएं, अत्यधिक ऋण उन्मुख वित्त पोषण कार्यनीति, मालिकाना विवाद आदि को जिम्मेवार ठहराया जा सकता है । कार्य का स्थगन, चाय बागान सहित किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान की तालाबंदी अथवा बंद करना औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1948 के तहत कवर होता है और विवादों का निपटान, यदि कोई हो, समझौता, मध्यस्थता तथा अधिनिर्णय की कार्यवाही के जरिये किया जाता है ।

(ग) एवं (घ) : मैसर्स डंकन्स इण्डस्ट्रीज लि. के स्वामित्व वाली, धूमसीपारा चाय बागान के बागान प्रबंधन द्वारा कामगारों को मजदूरी और वेतन का भुगतान नहीं होने के कारण हुए श्रमिकों की अशांति की वजह से 21 जून , 2019 को बागान बन्द कर दिया गया । चाय बोर्ड के अधिकारियों ने 25 जून, 2019 को सहायक श्रम आयुक्त, बीरपाड़ा के साथ इस मामले पर विचार - विमर्श किया जो इस मामले में उपयुक्त प्राधिकारी हैं । 1 जुलाई, 2019 को दो पखवाड़ो के लिए बकाया मजदूरी का भुगतान करके 2 जुलाई, 2019 को बागान को पुनः खोल दिया गया ।

****